प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

आज़ादी का अमृत महोत्सव

30 सितंबर 2023

₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोट - संचलन से वापस लेना - समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करने और जनसाधारण को पर्याप्त समय देने के लिए बैंकों द्वारा ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करवाने और/या बदलवाने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराई गई थी। इन नोटों को बदलने की सुविधा रिज़र्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) जिनमें निर्गम विभाग (रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय)[1] हैं, वहाँ भी उपलब्ध कराई गई थी। ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों के संचलन से वापसी की स्थिति के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जनसाधारण को मासिक प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाता रहा है।

2. बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 को संचलन में मौजूद ₹3.56 लाख करोड़ मूल्य के ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों में से ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त कर लिए गए हैं और 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर केवल ₹0.14 लाख करोड़ संचलन में रह गए। इस प्रकार 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों में से 96% वापस आ गए हैं।

3. चूंकि वापस लेने की प्रक्रिया की अवधि समाप्त हो गई है एवं समीक्षा के आधार पर, ₹2000 बैंकनोटों को जमा करने / बदलने की वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 08 अक्तूबर 2023 से ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करने / बदलने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

ए) बैंकों की शाखाओं द्वारा इन बैंकनोटों को जमा करना / बदलना बंद कर दिया जाएगा।

बी) ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा एक समय पर ₹20,000/- राशि तक बदलने की सुविधा रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में जारी रहेगी।

सी) व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को (किसी भी राशि के लिए) भारत में उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

डी) भारत में किसी भी स्थान से व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा भारतीय डाक के माध्यम से भी ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को रिज़र्व बैंक के 19 में से किसी भी निर्गम कार्यालय के पते पर उनके बैंक खाते में जमा करने के लिए भेजा जा सकता है।

ई) ऐसे विनिमय अथवा जमा, रिज़र्व बैंक / सरकार के संगत विनियमों, वैध पहचान पत्र दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और रिज़र्व बैंक द्वारा मान्य कार्य प्रणाली के अंतर्गत किए जाएंगे।

---

[1] अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम

एफ़) कोर्ट, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभागों या कोई अन्य लोक प्राधिकरण, जो जांच कार्यवाहियों या प्रवर्तन में शामिल हों, अपनी आवश्यकतानुसार, ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी, बिना किसी सीमा के जमा कर सकते / बदल सकते हैं।

4. ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

5. ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करने / बदलने की उपर्युक्त सुविधा रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में अगली सूचना तक जारी रहेगी।

6. जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को अविलंब जमा करें / बदल लें।

7. जनसाधारण की सूचना और सुविधा के लिए इस संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) को अद्यतन जानकारी के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1025